न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, कोटा

कमरानं. 09, कलेक्ट्रेट परिसर, कलेक्ट्रेट, नयापुरा, कोटा, राज.:–0744–2325871

GCMS NO.-2022/579

मिसल नम्बर– 134 / 2022

श्रीमति आबिदा बेगम पत्नि श्री मोहम्मद मोबीन उददीन अंसारी निवासी बी 83 वक्फ नगर कोटा

प्रार्थीगण।

बनाम

मोहम्मद फहीम अख्तर अंसारी आयु 40 वर्ष पुत्र श्री मोहम्मद मोबीन उददीन अंसारी निवासी आई आई आर एस इसरो कॉलोनी क्वाटर नं0 बी / 3 हाथी बरकला कालीदास रोड देहरादून उत्तराखंड

अप्रार्थी।

–:निर्णय:–

(भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत् प्रार्थना–पत्र।)

दिनांक 24/12/24

उपस्थिति:–

1.श्री सूर्यकांत शर्मा, श्री जुगलकिशोर शर्मा प्रार्थीया अधिवक्ता।

2.श्री समीउद्दीन अप्रार्थी अधिवक्ता।

भरण–पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली निर्णय प्रार्थना पत्र वास्ते पेश हुई। पत्रावली में निहित दस्तावेज यथा प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थना पत्र मे प्रार्थीगण पक्ष द्वारा निवेदित संक्षेपित तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीया एक 65 वर्षीय वृद्ध महिला है जो कि आयु के अनुसार तमाम गंभीर रोगो से पीडित है जो उपरोक्त दिये गये पते पर निवास कर रही है। प्रार्थीया द्वारा काफी मेहनत मशक्कत से अपने बेटे अप्रार्थी को अपनी हैसियत से ज्यादा पैसा खर्च करके पढ़ाया लिखा ओर जब तक अप्रार्थी पढाई करता रहा तब तक तो प्रार्थीया के उपर ही निर्भर रहा परन्तु जेसे ही अप्रार्थी की नौकरी लगी तो वह नौकरी करने के उद्धेश्य से कोटा के बाहर चला गया और लगभग 10–11 वर्ष से अप्रार्थी भारत के कई शहरो मे जेसे बैगलोर , उत्तराखंड आदि मे नौकरी कर रहा है। तब से आज तक अप्रार्थी द्वारा न तो अपनी माता की कोई सुध ली और ना ही भरण पोषण के रूप मे कोई राशि अदा की जब कि प्रार्थीया द्वारा अप्रार्थी के लालन पालन व शिक्षा दिक्षा मे कोई कसर नहीं छोडी और अप्रार्थी को अच्छी शिक्षा दिलाकर अपना दायित्व पूरा किया इसी प्रकार अप्रार्थी को भी प्रार्थीया की सार संभाल करते हुये भरण पोषण देकर अपना दायित्व पूरा करना चाहिये था परन्तु आप्रार्थी जो कि वर्तमान में लगभग 4 5 साल से भारत सरकार के इसरो विभाग में देहरादून उत्तराखंड मे कार्यरत है अप्रार्थी को लगभग 44–45 हजार रूपये मासिक वेतन मिलता है। अप्रार्थी जो कि सालो तक न तो प्रार्थीया से फोन पर बात करता है और ना ही मिलने आता है। ऐसी सूरत मे प्रार्थीया अपने पुत्र अप्रार्थी से अपने स्वयं के खर्चे व समाज व परिवार में होने वाले खर्चे के रूप मे कम से कम 25 हजार रूपये मासिक भरण पोषण अप्रार्थी से प्राप्त करना चाहती है जो कि उक्त भरण पोषण राशि अप्रार्थी प्रत्येक माह प्रार्थीया को अदा करने मे सक्षम है। प्रार्थीया अक्सर बीमार रहती है तथा उसको अपने इलाज दवा आदि के लिये काफी रूपयो की आवश्यकता पडती है प्रार्थीया के पास पर्याप्त आय का स्त्रोत नहीं होने से वह पूरा नहीं कर पा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा

रही है प्रार्थीया जो कि मूल रूप से कोटा की निवासी है और उसका समस्त पीहर परिवार कोटा मे ही निवास करते है जो कि प्रार्थीया को अपने समाज व परिवार मे होने वाले शादी विवाह समारोह व अन्य कार्यक्रमो मे समाज की दृष्टि से जाना पड़ता है जिसमे भी प्रार्थीया को काफी लेन देन करने की आवश्यकता होती है। प्रार्थीया द्वारा पूर्व मे भी अप्रार्थी की नौकरी लगने के पश्चात कई बार मौखिक रूप से प्रत्येक माह खर्चा देने को कहा गया तो अप्रार्थी द्वारा टालमटोल करते हुये यह जवाब दिया कि अभी मेरी नौकरी नई नई है और मै भारत के बड़े शहरो मे रहता हूं जहां पर मेरा खर्चा अधिक हो जाता है। इसलिये प्रार्थीया चुपचाप रही परन्तु अब जब कि अप्रार्थी की नौकरी को 10–11 साल हो चुके है ऐसी सूरत मे अप्रार्थी प्रार्थीया को भरण पोषण के रूप मे उपरोक्त राशि आसानी से अदा कर सकता है। अतः प्रार्थना है कि प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी को तलब किया जाकर प्रार्थीया को अप्रार्थी से 25 हजार रूपये मासिक भरण पोषण राशि दिलवाये जाने का आदेश प्रदान किया जावे।

प्रार्थना–पत्र को दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण की तलबी हेतु नोटिस प्रेषित किये गये। बाद तलबी अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी द्वारा अपनी माता की सांझ संभाल करने वाले तथ्य का जवाब यह है कि अप्रार्थी जो कि भारत के विभिन्न शहरो मे नौकरी पर रहता है और समय नहीं मिलने के कारण अपनी माता की देखभाल नहीं कर पाता है और अप्रार्थी की माता ने कभी अप्रार्थी से दबाव बनाकर अपना भरण पोषण नहीं मांगा यदि अप्रार्थी की माता ने दबाव बनाकर अलग भरण पाषण मांगा होता तो जरूर देता परन्तु अप्रार्थी की माता ने भरण पोषण मांगा है तो अप्रार्थी अपनी माता को भरण पोषण देने को तैयार है। अप्रार्थी की माता की बीमार रहने वाली बात से अप्रार्थी सहमत है। अप्रार्थी का खर्चा अधिक होना स्वीकार है इसलिये ही अप्रार्थी अपनी माता को समय और भरण पोषण राशि नहीं दे सका यह बात सही है कि पुत्र होने के नाते अप्रार्थी का दायित्व बनता है कि अपनी माता की सेवा व भरण पोषण करे। अतः अप्रार्थी द्वारा प्रार्थीया के उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब प्रस्तुत कर निवेदन है कि माननीय न्यायालय द्वारा उचित आदेश फरमाया जावे।

प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र की प्रकिया के पश्चात पत्रावली बहस वास्ते नियत की गई। उभयपक्ष की ओर से अपने अपने प्रार्थना पत्र एवं जवाब प्रार्थना पत्र के समर्थन में लिखित बहस प्रस्तुत की गई।

हमने पत्रावली व संलग्न दस्तावेजों का आद्योपान्त अध्ययन किया बहस पर गंभीरता पूर्वक मनन किया। अप्रार्थी द्वारा कथन किया है कि अप्रार्थी की माता ने भरण पोषण मांगा है तो अप्रार्थी अपनी माता को भरण पोषण देने को तैयार है। प्रार्थीया वर्तमान में वृद्धावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती हैं, आय का पर्याप्त स्रोत नही होने के कारण प्रार्थीया अपनी सार–सभांल स्वयं करने में असमर्थ हैं। अप्रार्थी के पास आय के पर्याप्त स्रोत है जिससे वह प्रार्थीया का भरण पोषण करने में सक्षम है। अतः प्रार्थीया द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी को निर्देश दिया जाता है कि वह अपनी माता को 10,000/– रूपये मासिक भरण–पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ताकि भरण–पोषण राशि के सम्बन्ध में भविष्य में किसी प्रकार का वाद–विवाद उत्पन्न न हों।

उक्त निर्णय आज दिनांक 24/12/24 को मेरे द्वारा लिखा जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

गजेन्द्र सिंह
उपखण्ड अधिकारी
कोटा

उपखण्ड अधिकारी
कोटा